



प्रेस नोट थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर



दिनांक – 14.07.2026

"थाना कांट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों/वांछित/वारण्टी, अवैध मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री-निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक कांट के नेतृत्व में थाना कांट पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.07.2026 को वादी द्वारा थाना कांट पर तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री को अभियुक्त उमेश पुत्र रामकिशोर नि० ग्राम बहलोलपुर थाना कांट जिला शाहजहाँपुर के उकसाने पर अभियुक्त रामू पुत्र रामकिशोर व अभियुक्ता सोनाश्री पत्नी रामकिशोर निवासीगण ग्राम बहलोलपुर थाना कांट जिला शाहजहाँपुर द्वारा हत्या करने की नियत से तरल पदार्थ डालकर आग लगा दी है। जिससे आवेदक की पुत्री काफी झुलस गयी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कांट पर मु०अ०सं० 334/2026 धारा 109(1)/61(2) BNS पंजीकृत किया गया। थाना कांट पुलिस टीम थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने व रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित अपराधी में भ्रमणशील थी तभी मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रामू पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना कांट जिला शाहजहाँपुर को अभियान मोड़ के पास थाना क्षेत्र कांट अन्तर्गत से समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम -

- रामू पुत्र रामकिशोर, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- मु०अ०सं० 334/2026 धारा 109(1)/61(2) BNS पंजीकृत थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

- दिनांक 14.07.2026 समय 13.10 बजे अभियान मोड़ के पास थाना क्षेत्र कांट, जनपद शाहजहाँपुर।

अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० - 334/2026 धारा 109(1)/61(2) BNS थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
2. मु०अ०सं० - 472/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
3. मु०अ०सं० - 197/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
4. मु०अ०सं० - 689/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
5. मु०अ०सं० - 811/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
2. उ०नि० श्री शुभम कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर,
3. का० पिन्टू कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर,
4. रि०म०का० अश्वनी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर,